अनुसूची १९-प्रपत्र (धारा ११२)

आवेदन 0577 दिनांक 20/01/2022

सम्पत्ति अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं० 440 ...२०22 आवेदन सं० 442 ...२०22

। चूंकि श्री Auth. Sign. of Partner Sarvesh Constructions, Dhanbad ने आवेदन किया है कि नीचे वर्णित संपत्ति के सम्बन्ध में निष्पादित संव्यवहारों की और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय ।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण है)

। इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही १ में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता. 2019 से ता. Till date तक तलाश की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है ।

क्रम सं०	क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	ख) दस्तावेज प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं	वर्ष	पृष्ठ
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	Mauza Sabalpur No. 11 Under Khata No. R.S. 15 (C.S. Khata No. 22) R.S. Plot No. 636 (C.S. Plot No. 445/996) Total Area 13.2 Dec.			NIL				

Bidyut Roy

क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें ।

ख) १. बंधक-पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो ।

२. पट्टा की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर)- [signature]

(पदनाम) - Clerk

तलासी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर)- [signature]

(पदनाम) - Clerk

कार्यालय D.S. Sub Registry Office

मुहर

सब जिला अवर निबंधक
सत्यमेव जयते
धनबाद

तारीख 22/07/2022

[signature]

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं व आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो ऐसी दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करना होगा। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायेंगी।

क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलासी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलासी परिणाम की किसी चूक के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है और चूँकि उनके द्वारा पढ़े गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न किये गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

Search made by me
Abhijit Roy